अध्याय V

कर भिन्न प्राप्तियाँ

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

जल दर, खान एवं खनिज, वन आदि प्राप्तियों से संबंधित अभिलेखों की वर्ष 2010–11 के दौरान हमने नमूना जाँच किया एवं 294 मामलों में ₹ 135.62 करोड़ के राजस्व की हानि/वसूली नहीं होने इत्यादि एवं अन्य त्रुटियों का पता लगाया, जो निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
क.	**खान एवं खनिज**		
1.	खनिजों के अवैध अधिप्राप्ति के लिए कार्य संवेदकों के विरूद्ध अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	38	75.14
2.	रॉयल्टी एवं उपकर का नहीं/कम वसूली	37	10.49
3.	ईंट–मिट्टी के अवैध उत्खनन हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	37	7.58
4.	बालू घाटों का नहीं/अनियमित बंदोबस्ती होने के कारण नीलामी राशि का आरोपण नहीं/कम किया जाना	21	8.48
5.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं किया जाना	7	1.64
6.	ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	28	0.32
7.	लगातार उल्लंघन करने पर जुर्माना नहीं लगाए जाने के कारण हानि	4	0.23
8.	अन्य मामले	68	14.30
	कुल	**240**	**118.18**
ख.	**जल दर**		
1.	सिंचाई के लक्ष्य का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि	14	3.23
2.	जल दर की माँग सृजित नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि	11	9.26
3.	घाट भूमि की बंदोबस्ती नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि	4	0.42
4.	अन्य मामले	13	0.82
	कुल	**42**	**13.73**
ग.	**वन प्राप्तियाँ**		
1.	संग्रहित/दावारहित लकड़ी का निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व अवरुद्ध रहना	4	0.09
2.	क्षतिपूर्ति राशि का वसूली नहीं होना	1	1.54
3.	अन्य मामले	7	2.08
	कुल	**12**	**3.71**
	कुल योग	**294**	**135.62**

वर्ष 2010–11 के दौरान संबंधित विभागों ने 18 मामलों में शामिल ₹ 2.06 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों इत्यादि को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 19,000 से सन्निहित एक मामला वर्ष 2010–11 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 8.12 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

5.2 अधिनियमों एवं नियमावली का अनुपालन नहीं किया जाना

जिला खनन पदाधिकारियों/कार्यपालक अभियंताओं के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों एवं विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने के अनेक मामलों का पता चला, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप हैं तथा हमलोगों द्वारा किए गए नमूना जाँच पर आधारित है। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा हुए इन चूकों को प्रत्येक वर्ष हमलोगों द्वारा इंगित किए जाते रहे हैं, परन्तु अनियमितताएँ न केवल निरन्तर होती रही बल्कि लेखापरीक्षा किए जाने तक इसका पता नहीं लगाया गया। सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में सुधार लाए।

क : खान एवं खनिज

5.3 ईंट भट्ठों का परिचालन

5.3.1 रॉयल्टी की वसूली नहीं/कम किया जाना

नौ[1] जिला खनन कार्यालय

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 26 (क) एवं 28 के प्रावधानों और इसके अधीन निर्गत अधिसूचना (मार्च 2001) के तहत् ईंट भट्ठा मालिकों को आवेदन शुल्क ₹ 2,000 प्रति भट्ठा भुगतान कर परमिट प्राप्त करने के बाद, ईंट भट्ठे की श्रेणी के अनुसार रॉयल्टी को समेकित राशि का दो बराबर किश्तों में निर्धारित दरों पर भुगतान करना है। पुनः, बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली एवं अक्तूबर 1987 मे निर्गत निर्देश के अनुसार यदि ईंट भट्ठा मालिक विहित प्रक्रिया के अनुसार समेकित रॉयल्टी का भुगतान करने में विफल रहता है तो सक्षम पदाधिकारी वैसे व्यवसाय को बन्द कराएँगे तथा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 37 के अंतर्गत बकाया रॉयल्टी/अर्थदण्ड राशि की वसूली हेतु नीलामवाद प्रक्रिया आरम्भ करेंगे। इसके अतिरिक्त, किराये, रॉयल्टी, शुल्क या सरकार को देय अन्य बकायों पर 24 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज भी प्रभारित होंगे।

जनवरी एवं अप्रैल 2011 के बीच ईंट भट्ठा पंजी, खनन निरीक्षक के प्रतिवेदनों तथा ईंट भट्ठा मालिकों के व्यक्तिगत संचिकाओं में रखे गये अन्य संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि ईंट मौसम[2] 2009–10 में 420 ईंट भट्ठे (श्रेणी–II[3]: 25 एवं श्रेणी – III[4]: 395) परिचालित थे, जिसमें से 305 ईंट भट्ठा मालिकों ने ₹ 1.61 करोड़ के देय रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया था जबकि शेष 115 ईंट भट्ठा मालिकों ने कुल ₹ 62.20 लाख के विरूद्ध ₹ 33.94 लाख की आंशिक रॉयल्टी का भुगतान किया। संबंधित जिला खनन पदाधिकारियों ने उनके व्यवसाय को बन्द नहीं कराया। इस प्रकार खनन पदाधिकारियों द्वारा ईंट भट्ठों के अवैध परिचालन को रोकने के लिए की जानेवाली कार्यवाही की

1 अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, दरभंगा, हाजीपुर, जहानाबाद, कैमूर, मधुबनी, एवं नवादा।
2 ईंट मौसम प्रत्येक वर्ष अक्तूबर महीने से शुरू होकर अगले वर्ष के मार्च तक होता है।
3 पटना, मुजफ्फरपुर, गया एवं दरभंगा को छोड़कर शहरी क्षेत्र में अवस्थित ईंट भट्ठा जिनकी क्षमता 35 लाख ईंट हैं।
4 ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित ईंट भट्ठा, जिनकी क्षमता 25 लाख ईंट हैं।

प्रक्रिया प्रारम्भ न होने के फलस्वरूप ₹ 1.89 करोड़ के रॉयल्टी की वसूली कम/नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, भुगतेय रॉयल्टी पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष के दर पर अप्रैल 2010 से लेखापरीक्षा किये जाने के पूर्व माह तक संगणित ₹ 35.63 लाख का साधारण ब्याज भी नियमानुसार आरोप्य है।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद संबंधित खनन पदाधिकारियों ने कहा कि नीलामवाद मामले दर्ज की जाएगी और रॉयल्टी की वसूली हेतु कार्यवाई की जाएगी। हमलोग आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

मामले सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

5.3.2 ईंट मिट्टी के अवैध उत्खनन हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

तेरह[5] जिला खनन कार्यालय

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 40(8) प्रावधित करता है कि उस अवधि के लिए जिसके लिए भूमि का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से किया गया हो, अवैध खनन हेतु अर्थदण्ड में खनिजों के मूल्य, लगान, रॉयल्टी अथवा कर, जैसा मामला हो, की वसूली शामिल होगा। पुनः, नियम 40(1), जैसा कि विहित है, आपराधिक दण्ड प्रक्रिया प्रारम्भ करना, जिसमें साधारण कैद की सजा, जिसे छः महीने तक अथवा जुर्माना, जिसे ₹ पाँच हजार तक विस्तारित किया जा सकता है अथवा दोनों, विहित करता है।

सितम्बर 2010 एवं मार्च 2011 के बीच खनन कार्यालयों में रखे गये ईंट भट्ठा मालिकों के परमिट रजिस्टर तथा माँग एवं संग्रहण पंजी के नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि ईंट मौसम 2009–10 में 538 ईंट भट्ठें (श्रेणी–I[6]: 35, श्रेणी– II: 40 एवं श्रेणी– III: 463) रॉयल्टी की समेकित राशि का बिना भुगतान किए और खनन परमिट प्राप्त किये बगैर ही परिचालित थे। पुनः हमने पाया कि इनमें से पाँच[7] जिलों के 46 ईंट भट्ठा मालिकों ने भी ईंट मौसम 2008–09 में अपने ईंट भट्ठे को अवैध रूप से परिचालित किया था। इसके बावजूद भी विभाग ने व्यवसाय को बन्द कराने अथवा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियमों के अनुसार अर्थदण्ड आरोपित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार, रॉयल्टी के समतुल्य खनिज के न्यूनतम मूल्य लेते हुए ₹ 2.91 करोड़ के अर्थदण्ड का कम आरोपण हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद तीन[8] खनन पदाधिकारियों ने कहा कि नियमानुसार कार्यवाई की जा रही थी जबकि शेष खनन पदाधिकारियों ने कहा कि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली में अर्थदण्ड आरोपण का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हमलोग जवाब से सहमत नहीं हैं क्योंकि उत्खनन बगैर वैध परमिट के किया गया था और इसलिए इन मामलों को अवैध खनन माना जाएगा और नियमानुसार

---

5 आरा, अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, दरभंगा, हाजीपुर, जहानाबाद, कैमूर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा एवं पटना।

6 शहरी क्षेत्र पटना, मुजफ्फरपुर, गया, एवं दरभंगा में अवस्थित ईंट भट्ठा जिनकी क्षमता 45 लाख ईंट हैं।

7 आरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नवादा एवं सहरसा।

8 हाजीपुर, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर।

अर्थदण्ड लगाया जाना था। हमलोग इन मामलों में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

मामले सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

5.4 बालू घाटों की बन्दोबस्ती

5.4.1 विलम्ब से किये गये भुगतान पर ब्याज की वसूली नहीं किया जाना

जिला खनन कार्यालय बांका तथा भागलपुर

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 11(क) प्रावधित करता है कि बालू घाटों की बन्दोबस्ती जिला समाहर्त्ता द्वारा उच्चतम डाककर्त्ता को लोक नीलामी द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाना है। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 11(घ) प्रावधित करता है कि इस प्रकार के सभी बन्दोबस्ती एक कैलेण्डर वर्ष के लिए ही वैध होगी चाहे बन्दोबस्तधारी को स्वामित्व किसी भी तारीख को मिला हो तथा किसी भी स्थिति में इस प्रकार की बन्दोबस्ती अगले कैलेन्डर वर्ष के लिए लागू नही होगा।

हालाँकि खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार ने कैलेन्डर वर्ष 2010–12 के लिए बालू घाटों के परिचालन एवं बन्दोबस्ती के लिए दिसम्बर 2009 में एक अधिसूचना जारी किया। उक्त अधिसूचना के उपबंध 17 के अनुसार यदि कैलेन्डर वर्ष 2010 के लिए बालू घाटों की बन्दोबस्ती 31 दिसम्बर 2009 तक नहीं होती है तो पूववर्ती बन्दोबस्तधारियों को 31 जनवरी 2010 या बन्दोबस्ती की नई तिथि तक, जो पहले हो, निर्धारित आरक्षित जमा पर बालू का निकासी करने की अनुमति होगी। पुनः, उपबंध 11 के अनुसार, बन्दोबस्तधारियों को बालू घाटों के परिचालन के पूर्व कैलेन्डर वर्ष 2010 के लिए बन्दोबस्त राशि का 50 प्रतिशत, 15 अप्रैल तक 25 प्रतिशत तथा शेष 25 प्रतिशत का भुगतान 25 सितम्बर तक करना आवश्यक था। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 43 (क) के अनुसार सरकार को देय कोई भी किराये, रॉयल्टी, शुल्क या अन्य बकायों पर सरकार 24 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रभारित कर सकती है।

कैलेन्डर वर्ष 2010 के लिए दो जिले के बालू घाटों की बन्दोबस्ती संचिकाओं से फरवरी 2011 में हमने पाया कि बालू घाटों के दो बन्दोबस्तधारियों ने ₹ 15.49 करोड़ के अनुपातिक नीलामी राशि के विरुद्ध ₹ 12.81 करोड़ का भुगतान एक दिन से लेकर 285 दिनों के विलम्ब से किया। इसके फलस्वरूप विलम्ब से किये गये भुगतान पर ₹ 36.34 लाख के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद, खनन पदाधिकारी, बांका ने कहा कि विभाग से निदेश प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी जबकि खनन पदाधिकारी, भागलपुर ने कहा कि चूककर्ताओं के विरुद्ध नीलामवाद मामला दायर किया जाएगा।हम इन मामलों में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

मामला सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

5.4.2 बालू घाटों की विलम्ब से बन्दोबस्ती के कारण राजस्व की हानि

कैलेन्डर वर्ष 2010 के लिए दो[9] जिलों के बालू घाटों की बन्दोबस्ती संचिकाओं से फरवरी 2011 में हमने पाया कि अधिसूचना (दिसम्बर 2009) के उल्लंघन में, दो बालू घाटों की बन्दोबस्ती फरवरी 2010 में 15 दिनों के विलम्ब से की गई थी, जिसके फलस्वरूप ₹ 65.62 लाख की सरकारी राजस्व की हानि हुई जैसा कि नीचे विवर्णित है:

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाईओं के नाम	बन्दोबस्ती की तिथि	कैलेन्डर वर्ष 2010 की डाक राशि	पूर्ववर्ती बन्दोबस्तधारी द्वारा बालू घाटों का परिचालन			वर्ष 2010 के लिए डाक राशि पर आरोप्य विलम्ब अवधि की अनुपातिक राशि	वसूलनीय अन्तर राशि
				दिनों की सं0	वर्ष 2010 के लिए आरक्षित राशि	वर्ष 2010 के लिए अनुपातिक आरक्षित राशि		
1	बांका	16.2.2010	1,010.50	15	59.90	2.46	41.53	39.07
2	भागलपुर	17.2.2010	755.00	15	108.90	4.48	31.03	26.55
कुल								65.62

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद, संबंधित खनन पदाधिकारियों ने कहा कि बन्दोबस्ती अधिसूचना के अनुसार की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बालू घाटों की बन्दोबस्ती 31 जनवरी 2010 तक होना अपेक्षित था। हम इन मामलों में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

मामले सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

[9] बांका एवं भागलपुर।

5.5 पत्थर खानों के बन्दोबस्तीधारी से रॉयल्टी एवं ब्याज की कम वसूली

जिला खनन कार्यालय बांका तथा भागलपुर

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 9 (क) के अंतर्गत सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से निर्देश दे सकती है कि नियम 52, जैसा कि विहित है, के तहत् विहित तरीके से कोई भी खनिज, लोक नीलामी/निविदा के द्वारा पट्टे पर दे सकती है अथवा बंदोबस्त कर सकती है एवं पत्थर के उत्खनन हेतु पट्टा पाँच वर्षों से कम अवधि के लिए नहीं होगा। उप नियम 4 एवं 5 प्रावधित करता है कि डाक राशि समान किश्तों में वार्षिक आधार पर तथा प्रत्येक किस्त 31 जनवरी के पहले जमा करना होगा। यदि कोई भी किस्त निर्धारित अवधि के पहले जमा नही किया जाता है तो 24 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज दो माह तक प्रभारित होगा तथा उसके बाद निरस्तीकरण की कार्रवाई की जायेगी। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 33 (3) भी प्रावधित करता है कि प्रत्येक पट्टाधारी/अनुज्ञप्ति धारक प्रत्येक माह को सक्षम पदाधिकारी को खनिज के लिए एक सही एवं सत्य रिटर्न फार्म 'एच' में अगले माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत करेगा।

हमने फरवरी 2011 में दो जिलों के पत्थर खान पट्टाधारी के बन्दोबस्ती संचिका तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये मासिक रिटर्न की नमूना जाँच में पाया कि छः पत्थर खानों को जुलाई 2007 तथा नवम्बर 2008 के बीच ₹ 2.02 करोड़ में नीलाम किया गया था। बन्दोबस्तधारियों को वार्षिक आधार पर किस्त का भुगतान, जो जनवरी 2011 तक ₹ 1.57 करोड़ संचित था, के विरुद्ध उन्होंने कुल ₹ 87.13 लाख ही लेखापरीक्षा किये जाने की तिथि तक जमा किया था। इसके अलावे, रॉयल्टी की किस्त का कम भुगतान/विलम्ब से भुगतान किये जाने पर ₹ 2.78 लाख का ब्याज भी प्रभारित था। रॉयल्टी की वार्षिक किस्त के कम भुगतान के बावजूद संबंधित खनन पदाधिकारियों ने पाँच बन्दोबस्तधारी के विरुद्ध पट्टों के निरस्तीकरण हेतु कार्रवाई प्रारम्भ नहीं किया था तथा भागलपुर के एक मामले में, यद्यपि पट्टा मई 2010 में निरस्त कर दिया गया था, बकाये की वसूली हेतु कार्रवाई नहीं की गई थी। यह चूक न केवल नियमों का उल्लंघन था बल्कि परिणामस्वरुप ब्याज सहित ₹ 72.56 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद, खनन पदाधिकारी, बांका ने कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जाएगा जबकि खनन पदाधिकारी, भागलपुर ने कहा कि नियमानुसार वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी। हम इन मामलों में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

मामला सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

ख : जल दर

5.6 माँग का सृजन नहीं किए जाने के कारण राजस्व की वसूली नहीं किया जाना

दो[10] सिंचाई प्रमंडल

बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 के अधीन बने बिहार बाढ, प्रबंधन एवं निस्सरण नियमावली, 2003 के नियम 3.4.1 से 3.4.10 (ख) के अन्तर्गत सिंचाई कार्यों के लिए जल आपूरित किए गए लाभार्थियों से जल दर की वसूली हेतु खरीफ के लिए 30 नवम्बर, रबी के लिए 30 अप्रैल एवं गर्मा फसल के लिए 15 जून तक सिंचाई विभाग द्वारा प्रति वर्ष सिंचित भूमि की विवरणी (सूदकार), कृषकवार मापी (खेसरा) तथा माँग विवरणी (खतियानी) तैयार करना है। इसके बाद जून 2005 में विभागीय पुनर्गठन के आलोक में वसूली हेतु इस खतियानी का कार्यान्वयन प्रमंडलों द्वारा स्वयं किया जाना है।

प्रमंडलों द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचनाओं से हमने जुलाई और अगस्त 2010 के बीच पाया कि यद्यपि वर्ष 2008–10 के लिए सिंचित भूमि (खरीफ का 1,27,839.97 एकड़ और रबी का 1,10,991.12 एकड़) हेतु सूदकार तैयार की गई थी परन्तु संबंधित प्रमंडलों के पदाधिकारियों को सिंचित क्षेत्र की सत्यता की जाँच करने तथा उसे कनीय अभियंता को खतियान (माँग विवरणी) तैयार करने के लिए पृष्ठांकन करने हेतु उपलब्ध कराने के लिए कृषकवार मापी (खेसरा), अमीन[11] द्वारा तैयार नहीं किया गया था। खेसरा एवं खतियानी के अभाव में लाभार्थियों के विरुद्ध जल दर के संग्रहण हेतु माँग सृजित नहीं की जा सकी। इसके फलस्वरुप ₹ 1.96 करोड़ के जल दर की वसूली नहीं हुई।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद जुलाई और अगस्त 2010 के बीच संबंधित कार्यपालक अभियंताओं ने कहा कि खतियानी तैयार नहीं किये जाने का कारण कर्मियों की कमी थी।

मामला सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

[10] गंगा पम्प नहर प्रमंडल चौसा, बक्सर; कमला नहर प्रमंडल जयनगर।

[11] अमीन का अर्थ है वह योग्य व्यक्ति, जो जमीन की नापी करता हो।

ग : पथ निर्माण विभाग

5.7 भूमि उपयोग शुल्क की वसूली नहीं किया जाना

चार[12] पथ निर्माण विभाग

पत्रांक 4881 (5) डब्लु0सी0 दिनांक 04.04.2008 द्वारा परिचालित संकल्प दिनांक 28.03.2008 के अनुसार पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले पथों पर ऑप्टिकल फाईबर केबल, इलेक्ट्रीक लाईन, जल आपूर्ति, सीवर लाइन इत्यादि बिछाने वाले एजेन्सियों से प्रति वर्ष ₹ 5,000 प्रति कि0मी0 की दर से भूमि उपयोग शुल्क वसूलना था। इस राशि को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम में ही 30 मार्च तक जमा किया जाना था। यह निर्णय उन अनुज्ञप्तिधारियों, जिन्हे पूर्व में ऑप्टिकल फाईबर बिछाने की अनुमति दी गई थी, पर भी लागू होगा।

हमलोगों ने फरवरी 2010 एवं मार्च 2011 के बीच प्रमंडलों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया कि छः[13] कम्पनियाँ आप्टिकल फाईबर केबल तथा इलेक्ट्रीक लाईन बिछाने हेतु पथ निर्माण विभाग के अधीन पथों का उपयोग कर रहे थे। हालाँकि भूमि उपयोग शुल्क के रूप में ₹ 62.89 लाख की राशि वर्ष 2008–09 एवं 2010–11 के बीच उपयोगकर्त्ता कम्पनियों से वसूल नहीं की गई थी।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद, तीन कार्यपालक अभियन्ताओं[14] ने कहा (फरवरी 2010 एवं मार्च 2011 के बीच) कि बकाये भूमि उपयोग शुल्क की वसूली हेतु संबंधित कम्पनियों को सूचनायें प्रेषित की जाएगी, जबकि कार्यपालक अभियन्ता, डेहरी–ओन–सोन ने फरवरी 2011 में कहा कि माँग पत्र पहले ही जारी किया गया था। हमलोग वैसे मामलों में, जहाँ माँग पत्र निर्गत किया गया था, उसकी वसूली पर प्रतिवेदन तथा शेष मामलों में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

---

12 बेगुसराय, बिहारशरीफ, डेहरी–ओन–सोन एवं मधुबनी।

13 आदित्य बिरला टेलिकॉम लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, बी0एस0एन0एल0, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड (ब्रांड नेम–टाटा इनडिकॉम) एवं वोडाफोन लिमिटेड।

14 बेगुसराय, बिहारशरीफ एवं मधुबनी।

मामला सरकार/विभाग को अगस्त 2011 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

(आर. बी. सिन्हा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

पटना
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक